

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1088)/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 1314 दिनांक 06.11.2015 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में निम्न महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1.	श्रीमती तारा पुरोहित	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड आसीन्द (भीलवाड़ा)	1. दिनांक 10.10.2017 से दिनांक 06.02.2018 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 2. दिनांक 07.02.2018 से 09.10.2018 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
2.	श्रीमती सुशीला शर्मा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड खमनोर (राजसमन्द)	1. दिनांक 10.10.2017 से दिनांक 06.02.2018 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 2. दिनांक 07.02.2018 से 09.10.2018 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1088)/2018/ 28/

दिनांक:- 7/02/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा/राजसमन्द।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड आसीन्द (भीलवाड़ा)।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड खमनोर (राजसमन्द)।
4. प्रधानाचार्य, रूही नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटा बाईपास रोड़, आर0 सी0 व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।
5. प्रधानाचार्य, श्रीनाथ एज्युकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कांकरोली, राजसमन्द।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर